विधान सभा, प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट 2016
विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5264 के उत्तर हेतु
परिशिष्ट 'अ'

[8/3/2016]

परिशिष्ट बयालीस

प्रश्न सं. [क. 5264]

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन –भू अभिलेख) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / अभि./ 719

भोपाल, दिनांक 20/07/09

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/ वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/ अनुसंधान एवं विस्तार)
2. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/ वन्य प्राणी)

मध्य प्रदेश।

विषय : भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी वन को संरक्षित वन दर्शाया जाना

संदर्भ : मध्य प्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ / 22/82/10–3 दिनांक 11.07.08, कार्यालयीन पत्र क्र. एफ–12/10–11/2008/ अधि.कक्ष/714 दिनांक 22.07.08.

--00--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 490 सत्र जुलाई 2008 के उत्तर में 22 वनमंडलों में धारा 4 के अन्तर्गत निजी भूमियों को सम्मिलित कर कार्य आयोजनाओं में संरक्षित वन के रूप में दर्शाया जाना पाया गया है। भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की प्रक्रिया पूर्ण न करते हुये भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में निजी भूमियों को संरक्षित वन के रूप में दर्शाया जाने को शासन ने त्रुटिपूर्ण माना है। इस विषय पर दिनांक 08.07.09 को अपर मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसका कार्यवाही विवरण शासन के पत्र क्रमांक एफ / 22/82/10–3 दिनांक 14.07.09 से प्राप्त हुआ है, जो पालनार्थ आपकी ओर संलग्न कर भेजा जा रहा है। बैठक दिनांक 08.07.09 में निर्णय लिया गया है कि :–

" संबंधित वनमंडलों की कार्य आयोजना में एक शुद्धिपत्र लगा दिया जाये, जिसमें कि निजी भूमि का विस्तृत विवरण दर्शा दिया जाये " ।

शासन के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि समस्त वनमंडलों की प्रचलित कार्य अयोजनाओं एवं भविष्य में पुनरीक्षित होने वाली कार्य आयोजनाओं में निम्नलिखित प्रपत्र में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में सम्मिलित निजी भूमि का विवरण दर्शाया जावे।

तालिका – भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची

वनमंडल का नाम	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 की अधिसूचना का क्र. एवं दिनांक	तहसील का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	वन व्यवस्थापन प्रकरण क्र. एवं वर्ष	भूमि स्वामी का नाम एवं ग्राम	कार्य आयोजना में सम्मिलित निजी भूमि का विवरण	
							खसरा न.	रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कृपया उपरोक्त निर्देशित कार्यवाही दिनांक 31.10.2009 तक पूर्ण कर इस कार्यालय को पालन प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

20/07/2009
(ए.के. दुबे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन–भू अभिलेख)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन भू– अभिलेख
(कक्ष –कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश भोपाल,
दूरभाष:– 0755–2674266,फैक्स: 0755–2674230, ई–मेल pccfwp@mpforest.org pccfworkingplan@gmail.com

क्रमांक / मा.चि. / का.आ. /138/ 1091 भोपाल दिनांक, 30.9.1

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
म0प्र0

विषय:– वनखण्डों में शामिल निजी भूमि की सूची कार्य आयोजना में चस्पा किये जाने के सम्बन्ध में ।

––0––

वनखण्डों में शामिल निजी भूमि की सूची तैयार कर सम्बन्धित वनमंडल के प्रचलित कार्य आयोजना में चस्पा किये जाने के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक/अधि./719 दिनांक 20.7.2009 द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे, जिसके पालन में सम्बन्धित वनमंडलाधिकारियों के द्वारा निजी भूमि की सूची कार्य आयोजना की प्रति में चस्पा की गई है। कई वनमंडलाधिकारियों के द्वारा केवल निजी भूमि की सूची में केवल खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल की जानकारी शामिल किया गया है जबकि सूची में निजी भूमि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण शामिल किया जाना चाहिये था। अतः आंपको पुनःनिर्देशित किया जाता है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.7.2009 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही निजी भूमि के सूची चस्पा किया जावे।

प्रत्येक वर्ष कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वार्षिक विदोहन हेतु निर्धारित कूपों में वृक्षों के चिन्हांकन का कार्य करते समय यह सुनिश्चत किया जावे कि कूप में शामिल निजी क्षेत्र में खडे वृक्षों का चिन्हांकन न किया जावे एवं उक्त क्षेत्र को विदोहन हेतु सम्बन्धित उत्पादन वन मंडल को हस्तांतरित नही किया जावे ।

(बिधान चन्द्र) 30/9
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना
म0प्र0 भोपाल

पृ0क0 / काआ / माचि /138/ 1092 भोपाल दिनांक 30.9-

प्रतिलिपि:–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन म.प्र. भोपाल ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना (आंचलिक) भोपाल /जबलपुर /इंदौर
3. समस्त कार्य आयोजना अधिकारी म.प्र. ।
4. समस्त वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना
म0प्र0 भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

DRAFTMAN LETTER 2010

विधान सभा सत्र फरवरी–अप्रैल 2016

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5264 के उत्तरांश 'ख' का परिशिष्ट 'ब'

क्र.	राज्य शासन वन विभाग द्वारा वनखण्डों में शामिल निजी भूमियों के विषय में जारी पत्र		वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन द्वारा वनखण्डों में शामिल निजी भूमियों के विषय में जारी पत्र	
	दिनांक	विषय	दिनांक	विषय
1	2	3	4	5
1.	11.07.2008	भा.व.अधि. 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना	20.07.2009	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी वन को संरक्षित वन दर्शाया जाना
2.	19.04.2012	भा.व.अधि. 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना	06.08.2010	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
3.	03.01.2011	भा.व.अधि. 1927 की धारा 4 में अधिसूचित वनखण्डों के व्यवस्थापन के कार्यो की समीक्षा	03.08.2010	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
4.	20.11.2012	भा.व.अधि. 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमि संरक्षित वन दर्शाना	30.08.2010	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
5.	10.04.2015	भा.व.अधि. 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 (1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किये जाने बावत्।	09.09.2010	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
6.	29.04.2015	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 31.03.2015 को वन विभाग की समीक्षा में दिये गये निर्देश का कार्यवाही विवरण	29.10.2010	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
7.	01.06.2015	आरक्षित वनखण्डों का गठन	30.09.2011	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
8.			06.01.2012	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।
9.			24.03.2012	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत वनखण्डों में सम्मिलित निजी भूमि के संबंध में गठित उच्च स्तरीय सतिमि की बैठक
10.			26.07.2013	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित वनक्षेत्रों में से अनुपयुक्त पाये गये क्षेत्र के संबंध में मार्गदर्शन देने बाबत्

अनुभाग अधिकारी

(बी. के. मिश्रा)